राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–95 / 2026. 3770
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
समस्तीपुर

दिनांक– 15.09.2026

विषयः–राजस्व ग्राम अंतर्गत EB की प्रविष्टि से संबंधित प्राप्त परिवाद के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः–आयोग का पत्रांक–3691 दिनांक 09.09.2026 एवं पत्रांक–3656 दिनांक 08.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत परिसीमन के क्रम में वर्ष–2011 के जनगणना से संबंधित राजस्व ग्रामवार निर्मित EB की प्रविष्टि के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं इस संबंध में DPRO/DIO/IT Manager/BDO/तकनीकी सहायक सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

(क) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्र संख्या–3844 दिनांक 10.09.2026 में सूचित किया गया हैं कि रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत राजस्व ग्राम सहियार बुर्ज,सहियार डीह, भिरहा एवं जाखर का नक्शा सुधार कर नगर परिषद क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्राम को विलोपित करने के संबंध में अनुरोध किया गया हैं। विदित हो कि इस संबंध में आयोग के पत्रांक 3691 दिनांक 09.09.2026 के द्वारा प्रपत्र–क,ख,ग(राजस्व ग्राम जो नगर क्षेत्र के भाग हैं जिनकी प्रविष्टि को विलोपित किया जाना हैं) संलग्न करते हुए सभी संबंधित जिला को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही इस से संबंधित प्रविष्टि को आयोग के पोर्टल पर अपडेट किया जाना हैं।

(ख) जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पत्र संख्या–3905 दिनांक 12.09.2026 में सूचित किया गया हैं कि सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत रायपुर बुजुर्ग राजस्व ग्राम के EB संख्या 373 का परिसीमन के दौरान जब 09 बिंदुओं को मार्क के क्रम में राजस्व सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहा हैं। विदित हो कि इस विषय से संबंधित आयोग के पत्रांक 3656 दिनांक 08.09.2026 के द्वारा पत्र प्रेषित है। अतः उक्त विषयों से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु उक्त पत्र का प्रसंग लिया जाए।

(ग) जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पत्र संख्या–3845 दिनांक 10.09.2026 द्वारा आयोग के परिसीमन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे समस्तीपुर प्रखंड का नगर निकाय में सम्मिलित हो चुके तीन राजस्व ग्राम यथा–हरपुर निजामत, हरपुर सिलौत एवं मथुरा मंडल को विलोपित करने हेतु अनुरोध किया गया हैं। विदित हो कि इस संबंध में आयोग के पत्रांक 3691 दिनांक 09.09.2026 के द्वारा प्रपत्र–ख (राजस्व ग्राम जो नगर क्षेत्र के भाग हैं जिनकी प्रविष्टि को विलोपित किया जाना हैं) संलग्न करते हुए सभी संबंधित जिला को पत्र प्रेषित की गयी हैं। साथ ही इस से संबंधित प्रविष्टि को आयोग को पोर्टल पर अपडेट किया जाना हैं।

(घ) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्र संख्या–3843 दिनांक 10.09.2026 के द्वारा समस्तीपुर जिला अंतर्गत शिवाजीनगर प्रखंड का पंचायत परिसीमन मोबाईल एप पर ऑनलाईन नक्सा बदलने से संबंधित अनुरोध प्राप्त है। विदित हो कि इस विषय से संबंधित आयोग के पत्रांक 3656 दिनांक 08.09.2026 के द्वारा पत्र प्रेषित है। अतः उक्त विषयों से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु उक्त पत्र का प्रसंग लिया जाए।

(ङ) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्र संख्या–3846 दिनांक 10.09.2026 के द्वारा समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड में वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित EB की चौहद्दी को मोबाईल एप पर प्रविष्टि करने के क्रम में राजस्व ग्राम पचपैका एवं करिहारा का EB राजस्व ग्राम चाँदचौर में प्रदर्शित होने से संबंधित प्रतिवेदन प्रेषित है। विदित हो कि आयोग के पत्रांक 3656 दिनांक 08.09.2026 में अंकित निदेशानुसार समस्याओं के निवारण हेतु उक्त पत्र का प्रसंग लिया जाए।

ज्ञातव्य हो कि प्रखंड स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन पर आपके स्तर से समस्याओं की गंभीरता से अभिरूचि के साथ समीक्षा किये जाने की आवश्यकता हैं। पंचायत का परिसीमन हो अथवा नगर निकायो का गठन/क्षेत्र–विस्तार हो सभी–प्रकार के आंकड़े राजस्व ग्राम राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना अन्तर्गत ग्राम पंचायत से नगर निकाय में सम्मिलित किये गये हैं वो सभी आंकड़ा जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

ऐसा देखा जा रहा हैं कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर ही DPRO द्वारा सीधे आयोग से पत्राचार किया जा रहा हैं। इस संबंध में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता रहा हैं, अतएव आयोग से पत्राचार केवल जिला निर्वाचन पदा0–सह–जिला पदाधिकारी स्तर से ही किया जाए।

अतः अनुरोध हैं कि आयोग को भेजने के पूर्व अपने स्तर से गंभीरता से समीक्षा करके समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।